को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष इंतजामात किए जाते हैं ।

(ख) और (ग) समय - समय पर यह अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं कि इन सुविधाओं को बढ़ाया / बेहतर बनाया जाए इन पर भली-भांति विचार किया जाता है तथा कमियों को दूर करने और इन्तजामात को बेहतर बनाने का भरसक प्रयास किया जाता है । हर हज के बाद केन्द्रीय तथा राज्य हज समितियों के प्रतिनिधियों के सलाह मशविरे से इन इंतजामात की समीक्षा की जाती है ताकि भविष्य में समुचित व्यवस्था की जा सके ।

पाकिस्तान द्वारा शस्त्रास्त्रों की खरीद

4625. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विगत छः महीनों में पाकिस्तान ने दुनिया के अनेक देशों से सामरिक शस्त्रास्त्रों की बड़े पैमाने पर खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान को तथा उन सभी देशों को, जिनसे पाकिस्तान द्वारा ये हथियार खरीदे जा रहे हैं; कोई विरोध पत्र दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान इधर कुछ समय से विभिन्न देशों से अधुनातन हथियार और प्रक्षेपास्त्र, पनडुब्बी, विमान और भारी बख्तरबंद जैसे हासिल करने की निरंतर कोशिश कर रहा है ।

(ग) और (घ) अपनी जायज जरूरतों से ज्यादा हथियार अर्जित करने की पाकिस्तान की कोशिशों को लेकर हमने अपनी चिन्ता से सभी सबद्ध पक्षों को अवगत करा दिया है । सरकार ऐसी सभी घटनाओं पर बराबर निगाह रखती है जिनका भारत की सुरक्षा पर असर पड़ता हो और उसकी हिफाजत के लिए आवश्यक कदम उठाती है ।

Raid by Indian Police Party in Nepal

4626. DR. BAPU KALDATE : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Indian policemen headed by a DIG raided and searched the houses of certain Nepalis in Kathmandu while they were looking for a criminal as reported in the Hindustan Times of 29th March, 1994;

(b) if so, what are the facts in this regard;

(c) what are the names of the police officers and to which State/States they belong and for whom they were looking for in Kathmandu and under whose orders they were sent there;

(d) whether the police officers obtained any prior permission of the Government of Nepal for carrying out raids and searches of the houses of Nepalis in Kathmandu;

(e) if so, what are the details in this regard and if not, what are the reasons therefor; and

(f) what action Government have taken or propose to take against the police officers found guilty for their indecent and inappropriate action ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA) : (a) to (c) No, Sir, no police party headed by a DIG entered Nepal as reported in the Hindustan Times of 29th March, 1994. The Government of India is unable to confirm or investigate events that occurred on the territory of India's friendly sovereign neighbour Nepal. From information available with the Government of India and from His Majesty's Government of Nepal,

it would appear that prima facie a small party consisting of Shri Rajinder Bakshi and seven other Delhi Police personnel exceeded their orders and authority and pursued certain wanted persons into Nepal.

(d) to (f) From the information available from His Majesty's Government of Nepal the small party of police personnel had not obtained prior permission of the Government of Nepal. GOI has ordered an immediate investigation into this matter and disciplinary action is being taken against the police personnel who are found responsible.

जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल

4627. **मौलाना ओवैदुल्ला खान आजमी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1994 में जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमण्डल में किन-किन व्यक्तियों को शामिल किया गया था और वे किन-किन राजनीतिक दलों से सम्बन्धित हैं;

(ख) उक्त प्रतिनिधि मंडल में उन्हें किन-किन आधारों पर शामिल किया गया था;

(ग) क्या इस प्रतिनिधि मंडल का गठन करते समय धर्मनिरपेक्षता के पहलू को नजर अंदाज किया गया था; और

(घ) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मूलभूत विशेषता बताया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) से (घ) संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के 50 वें अधिवेशन में भाग लेने के लिए भारत की सरकार ने एक व्यापक आधार वाला प्रतिनिधिमण्डल भेजा जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों से चुने हुए प्रतिनिधि शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल के स्वरूप से यह साफ झलकता है कि भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त के प्रति सरकार सदैव वचनबद्ध है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का एक मूलभूत अंग माना है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के 50 वें सत्र में भेजे गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

1. माननीय वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस (आई)
2. श्री अटल बिहारी वाजपेयी (भारतीय जनता पार्टी, लोक सभा में विपक्ष के नेता)
3. डा० फारुख अब्दुल्लाह (जम्मू और कश्मीर के भूतपूर्व मुख्य मंत्री)
4. श्रीमती सुजाता मनोहर, बम्बई उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश
5. श्री सलमान खुर्शीद, विदेश राज्य मंत्री (कांग्रेस आई)
6. डा० एल० एम० सिंघवी, भारत का हाई कमिशनर, लंदन।
7. श्री एम० एच० अंसारी, भारत का स्थायी प्रतिनिधि, भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क।
8. सुश्री एम० मणिमेकलय, प्रथम सचिव, भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क।
9. सुश्री सावित्री कुनाडी, संयुक्त सचिव (यू० एन०) विदेश मंत्रालय
10. श्री टी० एन० कौल (भूतपूर्व विदेश सचिव)
11. श्री मोहन लाल चिरागी, सम्पादक, कौमी आवाज।
12. श्री वी० सी० मिश्रा, (संयोजक, विदेश कार्य सैल, भारतीय जनता पार्टी)।
13. श्री प्रकाश शाह, भारत का राजदूत, टोक्यो।